

न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर
सीगा अपील सूचना का अधिकार अधिनियम 2005
प्रकरण संख्या 57 / 2025 (GCMS: 2025/310)
(RTI No. : 212368247880812)

श्री कर्मवीर उप्पल निवासी 9 एमडी सतराना, तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर
(मोबाईल नम्बर 97851-24035)

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ़

19.01.2026



पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी कर्मवीर उप्पल स्वयं उपस्थित नहीं हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी कर्मवीर उप्पल ने लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ़ से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रार्थना पत्र दिनांक 16.06.2025 से एक बिन्दु की सूचना चाही थी, जो लोक सूचना अधिकारी ने उसे उपलब्ध नहीं करवाई है इसलिए अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाने हेतु यह अपील पेश की है।

मैंने, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी कर्मवीर उप्पल ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 16.06.2025 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ़ से निम्न एक बिन्दु की सूचना चाही थी:

लोक सूचना अधिकारी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ 2024 में मूंग की फसल में हुए खराबे उपरान्त बीमा कम्पनी द्वारा किए गए सर्वे फार्म की प्रमाणित प्रतिलिपि निम्नलिखित डोकेट आईडी के सम्बन्ध में उपलब्ध करवाने का श्रम करावें। यदि सूचना आपके विभाग से संबंधित नहीं है तो संबंधित विभाग को सूचना उपलब्ध करवाने का श्रम करावें।

Application Number : 040108241201610391905

Season - Kharif - 2024 - Green Gram (मूंग)

Docket ID : 1. 040108240009174767

2. 040108240009178646

3. 040108240009179855

Policy Number 4. 040108240009170013

5. 040108240009175847

0401082412016103919 6. 040108240009177458

7. 040108240009174186

8. 040108240009175409

Handwritten signature
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर



लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, अनूपगढ़ ने अपने पत्रांक आरटीआई/2024/773 दिनांक 25.11.2025 से अपील का जवाब निम्नानुसार प्रेषित किया है:

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि कर्मवरी उप्पल द्वारा आरटीआई पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन क्रमांक 212891966324827 दिनांक 16.06.2025 में चाही गई सूचना कार्यालय सहायक निदेशक कृषि (विस्तार), अनूपगढ़ से सम्बन्धित होने के कारण इस कार्यालय के पत्रांक 370 दिनांक 18.08.2025 द्वारा सम्बन्धित कार्यालय को भिजवाया जाकर प्रार्थी को इस कार्यालय के ऑनलाईन पत्रांक 9310114860 दिनांक 21.08.2025 द्वारा सूचित किया गया।

लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ़ ने अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र का सम्बन्ध सहायक निदेशक कृषि विभाग अनूपगढ़ से सम्बन्धित होने के कारण उन्हें हस्तांतरित कर दिया था और अपीलार्थी को भी ऑनलाईन नम्बर 9310114860 दिनांक 21.08.2025 से सूचित कर दिया था। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत कृषि विभाग द्वारा सूचनाओं के सम्बन्ध में पारित आदेश के विरुद्ध प्रथम अपील अधिकारी के रूप में अद्योहस्ताक्षरकर्ता अधिकृत नहीं है। इस न्यायालय को उक्त अपील को प्रथम अपील अधिकारी के रूप में सुनने का क्षेत्राधिकार नहीं है। इसलिए अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील खारिज की जाती है। प्रार्थी यदि सहायक निदेशक कृषि (विस्तार), अनूपगढ़ के जवाब से असंतुष्ट हो तो उनके सक्षम प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील पेश करने के लिए स्वतंत्र है।

अतः उक्त विवेचन अनुसार अपीलार्थी की अपील क्षेत्राधिकार के बिन्दु पर खारिज की जाती है। आदेश की प्रति सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ़ को पालनार्थ एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ निर्णय की प्रति भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तर्तीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 19.01.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(Mandu)
(डॉ. मन्जू)
ज़िला कलक्टर
श्री गंगानगर